

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 6 /02/2026

संख्या-14/निजी-1120/2025- 2659 /सा0प्र0, श्री संजय कुमार वर्मा, बि0प्र0से0, को0क्र0-166/24, विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-13.01.2025 से दिनांक-16.01.2025 तक, दिनांक-23.01.2025 से दिनांक-30.01.2025 तक तथा दिनांक-21.09.2025 से दिनांक-24.09.2025 तक कुल-16 (4+8+4) दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. दिनांक-25.03.2025 से 20.09.2025 तक कुल-180 दिनों की उपभोग की छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-232 के तहत कुल-360 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी स्वीकृत करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत पूर्ण वेतन पर कुल-180 दिनों की रूपांतरित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. श्री संजय कुमार वर्मा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1120/2025- 2659 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 6 /02/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव-सह-निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री संजय कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।